बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक–02 / लेखा– 08 / 2015 — 852 / कृ0, पटना, दिनांक– 10-09-2018
प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित #द्वारा– वित्त विभाग।

विषय – **बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी को वर्ष 2018–19 में जैविक प्रमाणन कार्य करने हेतु सहायक अनुदान मद में 217.50 लाख (दो करोड़ सतरह लाख पचास हजार) रू0 के योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत ।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–पी0पी0एम0–86 / 2016–551 दिनांक 03.02.2017 द्वारा बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी को जैविक प्रमाणन कार्य करने एवं इसके स्थापना मद में 18 (अठारह) अतिरिक्त पदो के सृजन तथा इसके लिए वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक कुल 719.71448 लाख (सात करोड़ उनीस लाख इकहतर हजार चार सौ अड़तालीस) रू0 सहायक अनुदान मद में प्राप्त स्वीकृति के अधीन वर्ष 2018–19 में जैविक उत्पादन प्रमाणन कार्य करने हेतु सहायक अनुदान मद में 217.50 लाख (दो करोड़ सतरह लाख पचास हजार) रू0 के योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन तत्काल 78.72 लाख रू0 निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह एक चालू योजना है, जिसे विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0– पी0पी0एम0–86 / 2016–551 दिनांक 03.02.2017 द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए 217.50820 लाख रू0 की स्वीकृति प्राप्त है।

2. बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी द्वारा बिहार में बीज प्रमाणन कार्य के साथ ही जैविक उत्पादन क्षेत्र का निबंधन तथा मानक गुणवत्ता लागू कराते हुए जैविक प्रमाणन का कार्य किया जायेगा। जैविक प्रमाणन के क्षेत्र में एजेन्सी को सुदृढ़ीकरण करते हुए 4 वर्षो के लिए जैविक प्रमाणन का लक्ष्य निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया है :–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	जैविक प्रमाणन का लक्ष्य (हे0 में)
1	2016–17	2000.00
2	2017–18	4000.00
3	2018–19	7000.00
4	2019–20	10000.00

3. बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण कार्यो के लिए उपरोक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0– पी0पी0एम0–86 / 2016–551 दिनांक 03.02.2017 द्वारा 4 वर्षो के लिए कार्यक्रम स्वीकृत है। इस कार्यक्रम में जैविक प्रमाणन क्षेत्र का रकवा तथा इसमें होने वाले व्यय का आकलन किया गया है। एजेन्सी द्वारा इन वर्षो में जैविक प्रमाणीकरण से संभावित

आय का भी आकलन किया गया है। एजेन्सी द्वारा जैविक प्रमाणीकरण के लिए आकलन की गयी आय एवं व्यय का विवरण अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

4. योजना कार्यान्वयन में आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग द्वारा यथा आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

5. वितीय वर्ष 2018–19 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रू0 में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष–2401, फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 103– बीज, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0109 –बीज गुणन फार्मो का विस्तार खेती पर व्यय, विपत्र कोड– 01–2401001030109		
विषय शीर्ष– 0109.31.04 सहायक अनुदान वेतन	581.00	65.34
विषयशीर्ष –0109.31.06 सहायक अनुदान– गैर वेतन	0.00	115.19
मुख्य शीर्ष–2401, फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0117 बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड–01–2401007890117		
विषय शीर्ष–0117.31.04 सहायक अनुदान वेतन	112.00	12.60
विषय शीर्ष 0117.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन	0.00	22.20
मुख्य शीर्ष–2401, फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष– 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–01, उपशीर्ष–0140– बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड–01–2401007960140		
विषय शीर्ष–0140.31.04 सहायक अनुदान वेतन	7.00	0.78
विषयशीर्ष–0140.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	0.00	1.39
योग	**700.00**	**217.50**

6. वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपरोक्त बजट शीर्ष में कुल 700.00 लाख रूपये का बजट उपबंधित है जो केवल सहायक अनुदान वेतन मद में है। योजना कार्यान्वयन हेतु सहायक अनुदान वेतन मद में 78.72 लाख रूपये एवं सहायक अनुदान गैर वेतन मद में 138.78 लाख रूपये की स्वीकृति दी जाती है तथा तत्काल सहायक अनुदान वेतन मद की स्वीकृत राशि 78.72 लाख रूपये की निकासी की जायेगी। सहायक अनुदान गैर वेतन मद की स्वीकृत राशि 138.78 लाख रूपये की निकासी उक्त शीर्ष में प्रथम अनुपूरक आगणन में राशि उपबंधित होने/प्राप्ति पश्चात निकासी एवं व्यय की जा सकेगी।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी, कृषि निदेशक, बिहार, पटना होगें। स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा बी0टी0सी0 फार्म–42 पर सचिवालय, कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के पी0एल0 खाता संख्या– 269 में जमा की जायेगी।

8. योजना मूल स्वीकृति के अनुरूप है। इसके किसी घटक में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

9. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या– पी0पी0एम0–86/2016 के पृ0सं0–21/टि0 पर दिनांक 25.01.2017 को प्राप्त है।

10. वित्त विभाग संकल्प सं0 3758 दिनांक 31.05.2017 के कंडिका (8) में निहित प्रावधान के आलोक में यह चालू योजना है। वर्ष 2018–19 की योजना प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका सं0– 2/लेखा–08/2015 की टिप्पणी पृ0 45/टि0. पर दिनांक 28.08.2018 को

11. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या– 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2017 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 02/लेखा– 08/2015 के पृष्ठ 46/टि0 पर दिनांक 30.08.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Rabindra 4.9.18

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02/लेखा– 08/2015 852 / कृ0, पटना, दिनांक 10.09.2018

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 4.9.18

विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02/लेखा– 08/2015 – 852 /कृ0, पटना, दिनांक 10/09/2018

प्रतिलिपि– योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/ वित विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 4.9.18

विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02/लेखा– 08/2015 – 852 /कृ0, पटना, दिनांक 10/09/2018

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rabindra 4.9.18

विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 02/लेखा– 08/2015 – 852 /कृ0, पटना, दिनांक 10.09.2018

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संयुक्त निदेशक (शष्य), उपादान/ संबंधित उप निदेशक (शष्य)/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधितों को ई–मेल से भेजने हेतु अनुलग्नक के साथ प्रेषित।

Rabindra 4.9.18

विशेष सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।